

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
माता गैरेज के पीछे, जयभोले काम्प्लेक्स के सामने, पंडरी रायपुर
अधिसूचना

दिनांक.....

क्रमांक..... "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद् द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के समस्त श्रम कल्याण निरीक्षक, नगरीय निकायों के नगर पालिका अधिकारी एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भवन एवं सन्निर्माण कर्मकारों के लिए पंजियन अधिकारी नियुक्त करता है।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

पृष्ठांकन क्र० / / 231-241

रायपुर, दिनांक 30/04/13

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
3. श्रम सचिव सह श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय रायपुर (छ०ग०)
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
5. सचिव, नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
6. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ०ग०)
7. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ०ग०)
8. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ०ग०)
9. सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी छ०ग०)
10. उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (छ०ग०)
11. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर